न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला – राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी – हिन्दुबाला राजावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 94/2018 (वाद)
दायर दिनांक– 10/07/2018
निर्णय दिनांक– 26/02/2026

::उनवान::

01– प्रेम पुत्री भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी– गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा, जिला–राजसमन्द ।

वादीया

बनाम

01– हीरालाल पिता भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगर, जिला–राजसमन्द ।
02– शंकरलाल पिता भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी गिलूण्ड, तहसील रेलमगर, जिला–राजसमन्द ।
03– जगदीश पिता भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी–गिलुण्ड, तहसील–रेलमगरा, जिला–राजसमन्द ।
04– बालु पिता भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा, जिला–राजसमन्द ।
05– सुशीला पत्नी घनश्याम पिता भेरुलाल ब्राहम्ण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा।
06– लेहरी पुत्री भेरुलाल पत्नी सोहनलाल ब्राहम्ण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील रेलमगरा पत्नि सोहनलाल हाल मुकाम मजदुर कॉलोनी पानदल चौराहा तहसील व जिला भीलवाड़ा।
07– राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।
08– प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा राजसमन्द, तहसील–रेलमगरा।
09– प्रबन्धक, एस०बी०बी०जे० शाखा–गिलूण्ड, तहसील रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता– शंकरलाल जाट
प्रतिवादी अधिवक्ता– अनुपस्थित

–: निर्णय:–

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे सुदा काश्त की पैतृक मौरुसी कृषि भूमि मौजा ग्राम गिलूण्ड पटवार हल्का गिलूण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द में स्थित है। वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 तक का पारिवारिक सजरा बाद पत्र में अंकित है। उपरोक्त पारिवारिक सजरे अनुसार मूल पुरुष भेरुलाल पिता भारमल थे भैरुलाल के चार पुत्र व तीन पुत्रीयां है तथा पत्नी सोसर थी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार मूल पुरुष भेरुलाल पिता भारमल के जीवित पुत्र पुत्रीयां यादीया तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 तक है। जो पैतृक मौरुसी कृषि भूमि पर अपने पिता के जीवनकाल से ही सयुक्त रुप से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एवं प्रतिवादी सख्या 01 से लगायत 06 तक की पैतृक मौरुसी कृषि भूमि मौजा गिलूण्ड पटवार हल्का गिलूण्ड तहसील रेलमगरा की जमाबन्दी संवत् 2069–71 में आराजी नम्बर 565, 566, 567 568, 569, 570 कुल किता– 06 कुल रकबा 23–08 बीघा स्थित है। उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादीया का 1/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 तक का प्रत्येक का 1/7– 1/7 हक हिस्सा पैतृक मौरुसी कृषि आराजीयात होने से निहित है। साथ ही खातेदार मृतक हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होने से तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 की प्रथम अनुसूचि के प्रथम श्रेणी में उल्लेखित वारिसान होने से मृतक की खातेदारी में प्रत्येक जाईन्दा पुत्र पुत्री का बराबर हक हिस्सा

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

बनता है। अपने हक हिस्से 1/7, 1/7 पर काबिज हो अपने पिता के जीवनकाल से ही काश्त करते चले आ है। परन्तु प्रतिवादी संख्या एक से लगायत 04 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर मृतक खातेदार भैरुलाल पिता भारमल ब्राह्मण की खातेदारी में से भैरुलाल की जाईन्दा पुत्रियों का नाम (विलोपित का मात्र अपने नाम सम्पूर्ण कृषि आराजीयात अपने नाम पर करवा ली जबकि मृतक खातेदार भैरुलाल की मौरुसी जायदाद में पुत्रीयों का भी बराबर हिस्सा 1/7–1/7 हक हिस्सा अहित है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मृतक खातेदार भैरुलाल पिता भारमल का विरासती नामान्तरकरण संख्या 1931 द्वारा विरासती कार्यवाही में से मृतक भैरुलाल की तीनों जाईन्दा पुत्रीयों कमशः लेहरी, सुशीला, प्रेम का नाम विलोपित करते हुए अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि विवादित आराजियात पैतृक होकर संयुक्त कब्जे काश्त है। जिससे वादीया वादपत्र की कालम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात में अपना नाम 1/7 हक हिस्से से घोषित कराने के अधिकारिनी होने से वाद पत्र घोषणा का प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 तक वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाते हुए बार–बार उक्त विवादित आराजीयात को विक्रय करने की धमकी देने तथा वादीया को कृषि आराजीयात को उपजाउ बनाने तथा विद्युत कनेक्शन लेने आदी में भी प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक के रुकावट पेदा करते है। इससे वादीया अपने हिस्से की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने की अधिकारिणी होने से घोषणात्मक डिकी का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजीयात में मृतक खातेदार भैरुलाल की सम्पूर्ण कृषि आराजीयात में अपने नाम दर्ज होने का बेजा फायदा उठाकर प्रतियादी संख्या एक से लगायत चार उक्त कृषि काश्त की आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर दिया तो वादीया अपने 1/7 हक हिस्से से महरुम हो जायेगी। जिससे वादीया के 1/7 हक हिस्से की घोषणात्मक डिक्री प्रदान कर राजस्व रेकार्ड में अंकन किए जाने के लिए इन्द्राज दुरुस्ती का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 06 तक का उक्त पैतृक मौरुसी कृषि जायदाद में प्रत्येक का 1/7–1/7 हक हिस्सा निहीत है। परन्तु प्रतिवादीगण अपने मन मकसूद तरिके से वादीया के कब्जे काश्त की आराजीयात को भी विक्रय कर खुर्द बुर्द करने पर उत्तारु है। उपरोक्त आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर दिया तो वादीया को अपुरणीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति धनराशि में करना संभव नहीं है। इस कारण वादीया के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने उक्त आराजियात से वादीया को बेदखल कर शीघ्र अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की बातचीत कर दिनाक 17.06.2014 को एलानिया धमकी देने से विनाय वाद पेदा होकर निरन्तर हर रोज हर पल जारी है। वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात एवं पक्षकारान् न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी संख्या 07 राज्य सरकार तहसीलदार से सम्बन्धित होने से 8 व 9 के भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी प्रदान करायी जावें कि वाद पत्र पक्ष वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति पारित फरमायी जायें कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीया का 1/7 हक हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 06 तक का 1/7–1/7 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में संशोधन कराया जायें। वाद अनुसार बहक वादीया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित फरमायी जावें कि वाद पत्र की कॉलम सख्या 03 में वर्णित कृषि आराजीयात में वादीया के 1/7 हक हिस्से को किसी अन्य को हस्तान्तरित स्वयं नहीं करें व नही किसी अन्य से करावें। पश्चात् घोषणा वादीया के हक हिस्से के 1/7 किसी प्रकार की बेजा दखलन्दाजी न तो स्वयं करें व नहीं किसी अन्य से करावें और न ही ई रुकावट बाधा न तो स्वयं पेदा करें और न ही सिजारी नौकर द्वारा करावें।

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 01,04,09 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07, 08 जवाब पेश नहीं करना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को जवाब हेतु दिनांक 08.10.2014 से निरन्तर न्यायहित में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 05.04.2016 को जवाब का अवसर बन्द किया गया। इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 स्वयं का शपथ पत्र, जमाबन्दी संवत् 2045–2048 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–01 एवं नामान्तरकरण संख्या 1931 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–02 के प्रस्तुत किये।

वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस पर चिन्तन, मनन करने एवं पत्रावली व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमियां पैतृक सम्पत्ति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पुत्रीयां भी मौरूसी सम्पत्ति में समान अधिकार रखती है।

अतः वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. का स्वीकार किया जाकर मौजा गिलूण्ड पटवार हल्का गिलूण्ड तहसील रेलमगरा की जमाबन्दी संवत् 2069–71 में आराजी नम्बर 565, 566, 567 568, 569, 570 कुल किता 06 कुल रकबा 23–08 बीघा प्रत्येक में वादिया एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 06 तक को 1/7–1/7 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सख्या 02 से लगायत 04 के नाम पर पूर्व से ही बैंक रहन दर्ज होने से पूर्वानुसार उनके हिस्से पर बैंक रहन यथावत रखा जावें। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

संक्षिप्त नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 94 / 2018

अनयान

वादीपक्ष :–

01– प्रेम पुत्री भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी– गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा, जिला–राजसमन्द।

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

01– हीरालाल पिता भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगर, जिला–राजसमन्द ।

02– शंकरलाल पिता भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी गिलूण्ड, तहसील रेलमगर, जिला–राजसमन्द ।

03– जगदीश पिता भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी–गिलुण्ड, तहसील–रेलमगर, जिला–राजसमन्द ।

04– बालु पिता भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा, जिला–राजसमन्द ।

05– सुशीला पत्नी घनश्याम पिता भेरुलाल ब्राह्मण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील–रेलमगरा।

06– लेहरी पुत्री भेरुलाल पत्नी सोहनलाल ब्राह्मण, निवासी–गिलूण्ड, तहसील रेलमगरा पत्नि सोहनलाल हाल मुकाम मजदुर कॉलोनी पानदल चौराहा तहसील व जिला भीलवाड़ा।

07– राज्य सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार रेलमगरा।

08– प्रवन्धक, भूमि विकास बैंक शाखा राजसमन्द, तहसील–रेलमगरा।

09– प्रवन्धक, एस०बी०बी०जे० शाखा–गिलूण्ड, तहसील रेलमगरा।

प्रतिवादीगण

दावा :– वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 रा.का.अधि. 1955

वादी की ओर से:– अधिवक्ता शंकरलाल जाट

प्रतिवादीगण की ओर से:– अनुपस्थित

मे इस आशय में दिनांक 26.02.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया हैं। लिहाजा डिक्री किया जाता हैं कि मौजा गिलूण्ड पटवार हल्का गिलूण्ड तहसील रेलमगरा की जमावन्दी संवत् 2069–71 में आराजी नम्बर 565, 566, 567 568, 569, 570 कुल किता 06 कुल रकबा 23–08 बीघा प्रत्येक में वादिया एवं प्रतिवादीगण सख्या 01 से लगायत 06 तक को 1/7–1/7 हक हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी सख्या 02 से लगायत 04 के नाम पर पूर्व से ही बैंक रहन दर्ज होने से पूर्वानुसार उनके हिस्से पर बैंक रहन यथावत रखा जावें। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा